-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 17.08.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना नरैनी पुलिस द्वारा क्रूरतापूर्वक क्षमता से अधिक पशुओं को डीसीएम वाहनों में लादकर ले जा रहे 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **02 डीसीएम वाहनों में कुल 134 पशु बरामद। अभियुक्त पशुओं को क्षमता से अधिक एवं क्रूरतापूर्वक लादकर ले जा रहे थे।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने के क्रम में दिनांक 16/17.08.2026 की देर रात्रि को थाना नरैनी पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम नहरी प्राइमरी स्कूल के पास से 04 अभियुक्तों को 02 डीसीएम वाहन में क्रूरतापूर्वक पशुओं को लादकर ले जाते समय गिरफ्तार किया गया। डीसीएम वाहन से कुल 134 भैंस बरामद हुई है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए इस सम्बन्ध में थाना नरैनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

- 134 नग भैंसे/भैंसा
- 02 डीसीएम वाहन (परिवहन में प्रयुक्त)

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 224/26 धारा 11(1)E पशु कूरता अधिनियम व 56(B) पशु परिवहन अधिनियम थाना नरैनी जनपद बांदा।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अर्जुन पुत्र मेवालाल निवासी ग्राम परशुराम तालाब चमरेडी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. लखन पुत्र बाबू निवासी ग्राम परशुराम तालाब चमरेडी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. आसिफ पुत्र निसार अहमद निवासी ग्राम पीरनपुर थाना कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर।
4. बल्ले पुत्र अशोक निवासी ग्राम परशुराम तालाब चमरेडी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार साहू
2. उ0नि0 श्री राजेश कुमार
3. का0 राघवेन्द्र यादव
4. का0 प्रियांशु यादव
5. का0 शुभम सिंह
6. का0 अनुज यादव
7. का0 सुशील वर्मा
8. का0 शुभम यादव